कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग),
झारखंड सरकार
कार्यालय– जिला कृषि कार्यालय, देवघर।

नियुक्ति विज्ञापन संख्या – 01/2026-27
मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर मानव बल फसल रक्षक (कामदार) की नियुक्ति

फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पौधा संरक्षण केन्द्र, प्रखण्ड– देवघर, सारवां, मोहनपुर, सारठ, मधुपुर, पालोजोरी में प्रति केन्द्र एक पद पर कुल– 06 (छः) पद के लिए मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर मानव बल फसल रक्षक की अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

क्र0सं0	पदनाम	पद की प्रकृति	नियुक्ति अवधि	मासिक मानदेय
1.	फसल रक्षक (कामदार)	मानदेय/पारिश्रमिक आधारित	11 महीना (अथवा नियमित नियुक्ति होने तक)	11851/–

यह नियुक्ति पूर्णतः मानदेय/पारिश्रमिक आधारित है। इसमें भविष्य में नियमित नियुक्ति, स्थायीकरण का दावा मान्य नही होगा एवं नियमित सरकारी कर्मी के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

रिक्तियों का विवरणः–

क्र0सं0	कोटिवार रिक्ति				कुल रिक्ति
1	अनारक्षित (UR)	अनुसूचित जाति S.C	पिछड़ा वर्ग BC-I	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग BC-II	06
	03	01	01	01	

नोटः– पदों का कोटिवार विवरण देवघर जिला हेतु आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर है।

अनिवार्य योग्यताः–

1. मान्यता प्राप्त शैक्षिणक संस्थान से मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण।
2. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखण्ड सरकार अन्तर्गत कृषि अथवा उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम (पाँच) 5 दिवसीय एक प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य होगा।
3. स्थानीय भाषा की जानकारी।
4. साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की दक्षता।
5. देवघर जिला अन्तर्गत जिस प्रखण्ड के केन्द्र हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है, उसी प्रखण्ड के स्थानीय आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।

उम्र सीमाः–

न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र निम्नप्रकार से होगी।

क्र0सं0	कोटिवार निर्धारित (उम्र सीमा)			
1	अनारक्षित (UR)	अनुसूचित जाति S.C	पिछड़ा वर्ग BC-I	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग BC-II
	18-37 वर्ष	18-42 वर्ष	18-40 वर्ष	18-40 वर्ष

आवेदनकर्त्ता के जन्म तिथि के आधार पर अधिकतम एवं न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 01/11/2026 के आधार पर किया जाएगा,

नोटः–विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र देवघर जिले के **deoghar.nic.in, atmadeoghar.co.in** के आधिकारिक वेबसाइट एवं कार्यालय जिला कृषि कार्यालय, देवघर के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

आवेदन करने की तिथिः– 23/11/2026 से 08/12/2026 तक
(रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा)

आवेदन करने का पता :– कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, देवघर, संयुक्त कृषि भवन, चांदसुर, डाबरग्राम, नियर'–देवघर प्रखण्ड, 814112)

20/11/26

जिला कृषि पदाधिकारी,
देवघर।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग),
झारखंड सरकार
कार्यालय– जिला कृषि कार्यालय, देवघर।

–:नियुक्ति संबंधी सूचना:–

1. प्रस्तावना:–

राज्य में फसल सुरक्षा एवं पौधा संरक्षण संबंधी कार्यों को स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से संचालित करने के उद्देश्य से फसल रक्षक के पद पर मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर चयन करते हुए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाना है।

इस विज्ञापन के माध्यम से देवघर जिला के देवघर, सारवां, मोहनपुर, सारठ, मधुपुर, पालोजोरी प्रखण्ड में स्थित पौधा संरक्षण केन्द्रों में कार्य करने हेतु कुल 06 फसल रक्षक (कामदार) का चयन मानदेय /पारिश्रमिक के आधार पर किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया संबंधित विभागीय आदेशों, जिला– स्तरीय आरक्षण रोस्टर तथा इस विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अधीन संपन्न होगी।
अभ्यर्थी इस विज्ञापन की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं।

2. सामान्य विवरण:–

क्र0 सं0	पदनाम	पद की प्रकृति	नियुक्ति अवधि	मासिक मानदेय /पारिश्रमिक
1.	फसल रक्षक (कामदार)	मानदेय/पारिश्रमिक आधारित	11 महीना (अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो)	11851/–

नोट:– यह नियुक्ति पूर्णतः मानदेय/पारिश्रमिक आधारित है। इसमें भविष्य में नियमित नियुक्ति, स्थायीकरण का दावा मान्य नही होगा एवं नियमित सरकारी कर्मी के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. रिक्तियों का विवरण:–

क्र0सं0	कोटिवार रिक्ति				कुल रिक्ति
1	अनारक्षित (UR)	अनुसूचित जाति S.C	पिछड़ा वर्ग BC-I	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग BC-II	06
	03	01	01	01	

नोट:– पदों का कोटिवार विवरण देवघर जिला हेतु आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर है।

4. अनिवार्य योग्यता:–

I. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/माध्यमिक (10^{th}) उत्तीर्ण।
II. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत कृषि अथवा उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम 5 दिवसीय एक प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य।
III. स्थानीय भाषा की जानकारी।
IV. साइकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की दक्षता।
V. देवघर जिला अन्तर्गत जिस प्रखण्ड के केन्द्र हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है, उसी प्रखण्ड के स्थानीय आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।

5. **फसल रक्षक का कार्यः–** कीटनाशकों का छिड़काव, कृषकों के मध्य जागरूकता/ प्रशिक्षण एवं कार्यालय द्वारा समय–समय पर आवंटित अन्य कार्य।

6. **आयु सीमाः– (01 November 2026)**
मैट्रिक अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही आयु निर्धारण हेतु स्वीकार्य होगा। आयु की गणना निर्धारित तिथि के आधार पर की जाएगी।
न्यूनतम आयु :– 18 वर्ष
अधिकतम आयु सीमाः–

i	अनारक्षित (UR)	37 वर्ष
ii	अनुसूचित जाति (SC)	42 वर्ष
iii	पिछड़ा वर्ग BC-I	40 वर्ष
IV	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग BC- II	40 वर्ष

7. **चयन प्रक्रिया**

प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर संवीक्षा की जाएगी।
ऐसे आवेदन, जिनमें आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं है, आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है, अनिवार्य अर्हता पूरी नहीं होती है, अथवा जिनमें गलत/भ्रामक जानकारी दी गई है, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

चयन हेतु महत्वपूर्ण बिंदुः–

I. CGPA/ग्रेड होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड द्वारा निर्धारित Conversion formula के अनुसार प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।
II. इंटर अथवा उससे उच्चतर योग्यता के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जायेगे।
III. एक ही स्तर के एक से अधिक डिग्री/योग्यता के लिए अतिरिक्त अंक नहीं दिए जायेगें।
IV. प्रशिक्षण अवधि की गणना प्रमाण–पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित पूर्ण प्रशिक्षण दिवस के आधार पर की जायेगी।
V. केवल कृषि विभाग अंतर्गत कृषि एवं उद्यान निदेशालय द्वारा निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
VI. फसल रक्षक (कामदार) कार्य की प्रकृति को देखते हुए अभ्यार्थी का साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होना आवश्यक होगा। साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने हेतु कौशल परीक्षण कृषि विज्ञान केन्द्र सुजानी, देवघर में किया जाएगा।
VII. अंतिम चयन से पूर्व चयनित/औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मूल–प्रमाण– पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।
VIII. चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम रूप से चयनित/औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यार्थी द्वारा योगदान के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
IX. अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित (Self-attested) छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा–
    1. मैट्रिक/10वीं का प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र अनिवार्य।
    2. न्यूनतम (पाँच) 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र
    3. स्थानीय भाषा संबंधी प्रमाण–पत्र, यदि उपलब्ध हो।
    4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र।
    5. जाति प्रमाण–पत्र, जहाँ लागू हो।
    6. जन्मतिथि के प्रमाण हेतु मैट्रिक प्रमाण–पत्र।
    7. पहचान–पत्र
    8. आधार कार्ड की प्रति (साफ प्रदर्शित हो)।

X. यदि किन्हीं अभ्यर्थी का प्राप्तांक समान पाए जाते हैं तो वैसे स्थिति में मैट्रिक के प्राप्तांक का प्रतिशत को आधार माना जाएगा। यदि मैट्रिक का प्राप्तांक प्रतिशत भी समान पाए जाते हैं तो जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन–पत्र के साथ उपरोक्त में वर्णित आवश्यक प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन अपूर्ण माना जायेगा। मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन बाद में निर्धारित तिथि पर किया जाएगा।

8. चयन एवं योगदान

- कोटिवार मेधा सूची लागू आरक्षण नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी एवं अंतिम रूप से चयनित अभ्यार्थियों की सूची देवघर जिले के **deoghar.nic.in** एवं **atmadeoghar.co.in** के आधिकारिक वेबसाइट एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जायेगी। योगदान केवल जिला कृषि पदाधिकारी, देवघर द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ही स्वीकार किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर चयन स्वतः समाप्त हो जायेगी, एवं रिक्ति को प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।

- पौधा संरक्षण केन्द्र के आवंटन हेतु अभ्यर्थी के स्थानीय निवासी सम्बंधित प्रमाण–पत्र में अंकित निवास प्रखण्ड को प्राथमिकता एवं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में भरी गयी प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन किया जाएगा, परन्तु इस हेतु अंतिम निर्णय जिला कृषि पदाधिकारी, देवघर द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया जा सकेगा एवं भविष्य में आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

9. स्थानीय निवासी एवं आरक्षणः–

सभी अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैद्य झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सम्बंधित जाति/कोटि का सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैद्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. सामान्य शर्तें एवं महत्वपूर्ण निर्देशः–

- आवेदन–पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा अंतिम चयन से पूर्व मूल प्रमाण–पत्र का सत्यापन किया जाएगा।
- चयन प्रक्रिया सक्षम प्राधिकार द्वारा गठित चयन समिति की देख–रेख में संपन्न होगी।
- किसी भी चरण पर अभ्यर्थी की पात्रता एवं प्रमाण–पत्रों की पुनः जाँच की जा सकती है।
- गलत सूचना, तथ्य छिपाने अथवा फर्जी प्रमाण–पत्र पाए जाने पर चयन के बाद भी संविदा समाप्त की जा सकती है एवं अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती हैं।
- निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- सिर्फ चयन सूची में नाम आ जाना नियुक्ति का स्वतः एवं अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं देगा।
- नियमित नियुक्ति होने, स्वीकृत पद समाप्त होने अथवा प्रशासनिक आवश्यकता होने पर संविदा समाप्त की जा सकती हैं।
- जिला कृषि पदाधिकारी, देवघर को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का कार्यस्थल में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- सक्षम प्राधिकार को अपरिहार्य/प्रशासनिक कारणों से विज्ञापन अथवा चयन प्रक्रिया को स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

- फसल रक्षक (कामदार) पद पर नियुक्ति पूर्णतः मानदेय/पारिश्रमिक आधारित है। इसमें भविष्य में नियमित नियुक्ति, स्थायीकरण का दावा मान्य नही होगा एवं नियमित सरकारी कर्मी के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- आवदेन पत्र केवल निबंधित डाक द्वारा समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- चयन/परीक्षा/परिणाम/दस्तावेज सत्यापन संबंधी सूचना अधिकृत माध्यम से प्रकाशित की जाएगी।
- चयन के संबंध में किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आश्वासन/दावे के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- चयन समिति के द्वारा चयन प्रक्रिया में लिये गये निर्णय अंतिम एवं सर्वेमान्य होगा।
- आवेदक को लिफाफे के ऊपर आवेदित पद के नाम एवं पूर्ण पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

आवेदन करने का पताः–

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, देवघर, संयुक्त कृषि भवन
(चांदपुर, डाबरग्राम, जसीडीह, देवघर– 814112)

20/11/24

जिला कृषि पदाधिकारी,
देवघर।

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (कृषि प्रभाग)

विज्ञापन–सह–विवरणिका

देवघर जिलान्तर्गत फसल रक्षक (कामदार) के पद पर मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर चयन हेतु आवेदन–पत्र

विज्ञापन संख्या – 01/2026–27

निर्देश :– अभ्यर्थी आवेदन–पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से अपने हस्तलेख/Handwriting में भरे एवं (✓) का निशान लगाएं तथा विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।

पासपोर्ट आकार का नवीनतम स्व–अभिप्रमाति फोटो चिपकाएँ

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :–
   .....

2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी के बडें अक्षरों में) :–
   .....

3.आवेदक के पिता/पति का नाम :–
   .....

4. लिंग :(✓ का निशान करें) : ☐पुरूष ☐महिला

5. जन्म तिथि : (मैट्रिक प्रमाण पत्र में दर्ज तिथि ही मान्य होगी) :– ...../...../.....

6. आयु (01.11.2026 के आधार पर) वर्ष..... माह..... दिन.....

7. आवेदक का आधार नंबर :– .....

8. आवेदक का मोबाईल नंबर :– .....

9. ई–मेल (यदि उपलब्ध हो) :– .....

10. आवेदक का स्थायी पता :– .....
    .....
    .....

11. आवेदक का पत्राचार का पता :– .....
    .....
    .....

12.आरक्षण कोटि – ☐अनारक्षित/☐ अनुसूचित जनजाति/☐अनुसूचित जाति/☐अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ ☐ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :– .....

13. क्या आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं (✓ का निशान करें) (☐ हाँ/ ☐नहीं)

14. स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र के अनुसार जिला का नाम :– .....

15. स्थानीय निवासी प्रमाण– पत्र के अनुसार प्रखण्ड का नाम :– .....

16 स्थानीय भाषा/भाषाओं के नाम (जिसमें प्रवीणता है।) :– .....

17. क्या स्थानीय भाषा संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध है :(✓ का निशान करें) (☐हाँ/☐

नहीं) यदि हाँ, प्रमाण –पत्र का विवरण :– .....

18. शैक्षिणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें) –

परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड	प्राप्त अंक	कुल अंक	प्रतिशत
मैट्रिक / 10वीं					

19. प्रशिक्षण का विवरण :–

क्या विज्ञापन में निर्धारित संस्थान से न्यूनतम 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त है ? (✓का निशान करें) :– ☐हाँ / ☐ नहीं

20. अन्य आवश्यक जानकारी

1. क्या आप साइकिल चलाने में सक्षम है (✓का निशान करें) :–☐ हाँ / ☐नहीं .....
2. क्या आप पेड़ चढ़ने में सक्षम है (✓का निशान करें) :– ☐हाँ / ☐ नहीं .....

21. वांछित कार्यस्थल / प्रखंड की प्राथमिकता :

पदस्थापन हेतु प्राथमिकता क्रमवार (प्रखण्ड का नाम) : –

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

नोट :– कार्यस्थल / प्रखंड का आवंटन विज्ञापन में निर्धारित प्रावधानों, उपलब्ध रिक्ति, आरक्षण मेधा क्रम, स्थानीयता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा। आवेदक द्वारा दी गई प्राथमिकता को अंतिम आवंटन का अधिकार नहीं माना जाएगा।

22. संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची (स्व– अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न) –

आवेदक द्वारा संलग्न प्रमाण–पत्रों के सामने निशान (✓) लगाएं एवं आवेदन पत्र के साथ निम्न क्रम में संलग्न करें :–

1. मैट्रिक / 10वीं प्रमाण–पत्र एवं अंक – पत्र।
2. न्यूनतम 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र।
3. स्थानीय भाषा संबंधी प्रमाण–पत्र, यदि उपलब्ध हो।
4. वैद्य स्थानीयता से संबंधित प्रमाण–पत्र।
5. जाति प्रमाण–पत्र, जहाँ लागू हो।
6. फोटोयुक्त पहचान – पत्र की प्रति (आधार कार्ड / वोटर आई डी / ड्राईविंग लाईसेंस / पैन कार्ड)

नोट :– चरित्र / आचरण प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक नहीं है। परन्तु अंतिम चयन / दस्तावेज सत्यापन / योगदान के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जैसा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

23. घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन–पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र/दस्तावेज वास्तविक एवं वैद्य है। यदि आवेदन में दी गई जानकारी गलत, भ्रामक अथवा तथ्य छिपाने वाली पाई जाती है अथवा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र फर्जी/अमान्य पाया जाता है, तो मेरी अभ्यर्थिता/चयन/संविदा सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार समाप्त की जा सकती है।

मैं फसल रक्षक पद हेतु विज्ञापन में निर्धारित सभी शर्तों एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया प्रावधानों एवं शर्तों को स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान :– .....

दिनांक :– .....

अभ्यर्थी का नाम :–..... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर :–.....

नोट :–आवेदन सभी वांछित दस्तावेजों की प्रति समेत लिफाफा (12 X 9 इंच/A4 साईज) में बंद करके स्पीड पोस्ट/निबंधित पोस्ट के द्वारा कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, देवघर, संयुक्त कृषि भवन, चांदपुर, डाबरग्राम, जसीडीह, देवघर– 814112 पर दिनांक 08.12.2026 शाम 05:00 बजे तक प्राप्त होना चाहिए।

लिफाफा पर " मानदेय/परिश्रमिक आधारित फसल रक्षक (कामदार) हेतु आवेदन" एवं प्रखण्ड का नाम, अभ्यर्थी का नाम तथा पता अवश्य लिखेंगे।